

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 04.03.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0- 81/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. नईम पुत्र महमूद निवासी आजादनगर अमरौधा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात 2. मिस्टर अली पुत्र मुशीशाह निवासी भोगनीपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. सूरज मिश्रा पुत्र दीपक मिश्रा निवासी मुहाना थाना गजनेर 2. राज ठाकुर पुत्र सर्वेशसिंह निवासी चितरिया थाना गजनेर हालपता-टाइप 2 कालोनी यूपीएसआईडीसी जैनपुर थाना अकबरपुर 3. विकास पुत्र सुन्दरलाल निवासी चितरिया थाना गजनेर 4. आकाश पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी कोरारी थाना गजनेर कानपुर देहात अभियुक्तगण द्वारा सामूहिक रूप से लूट करने की योजना बनाते हुए पकड़े जाने एवं दिनांक 03.03.25 को पंजीकृत अ0सं0 57/25 धारा 309(6) बीएनएस में उक्त अभियुक्तों के प्रकाश में आने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-58/25 धारा 310(4)/313 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त विकास संखवार पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम चितरिया थाना गजनेर कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-59/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त आकाश पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम कोरारी थाना गजनेर कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-60/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 23 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रुरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।